

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर।

पत्रांक एसएसए/

१६

/2020-21 दिनांक ०५-६-२०२०

प्रेस विज्ञप्ति

अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 8/2019/20/1/91-का-2/2019 कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 दिसम्बर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता संस्था के चयन हेतु दिनांक 15.06.2020 की अपरान्ह 2:00 बजे तक ई-बिड आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 15.06.2020 को गठित समिति के सम्मुख पूर्वान्ह 2:30 बजे खोली जायेगी। सेवा प्रदाता संस्था के चयन हेतु शर्तें, कार्मिकों की अर्हतायें एवं मानदेय आदि शर्तें ई-बिड के साथ जनपद बिजनौर के वेबसाइट [www.bijnor.nic.in](http://www.bijnor.nic.in) पर अपलोड हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है।

(शशि भूषण)

सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी,  
सर्व शिक्षा अभियान, बिजनौर  
पृ०सं०एसएसए/

(महेश चन्द्र)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बिजनौर

/2020-21 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि: निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उ०प्र० लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय बिजनौर।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर।
- 4- अपरजिलाधिकारी बिजनौर।
- 5- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बिजनौर को इस अनुरोध करना है कि उक्त जैम पोर्टल पर आमंत्रित बिड की नियम व शर्तों को [www.bijnor.nic.in](http://www.bijnor.nic.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 6- सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं जनवाणी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त को अपने समाचार पत्र में न्यूनतम आकार एवं न्यूनतम दरों पर प्रकाशित कर तथा विल में अंकित दरें जिला सूचना अधिकारी बिजनौर से सत्यापित कराकर देयक दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी,  
सर्व शिक्षा अभियान, बिजनौर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बिजनौर

# ई-बिड फार्म वर्ष 2020-21

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।

## तकनीकीबिडप्रपत्र

क्र०सं०	विवरण	
1	फर्म का नाम	
2	फर्म का पूरा पता	
3	फर्म का खाता संख्या	
4	आयकर का पैन नं०	
5	फर्म का जी०एस०टी०नम्बर	
6	आधार कार्ड नम्बर	
7	फर्म के कार्य करने के अनुभव का विवरण	
8	अर्नेस्टमनी धनराशि का विवरण	
9	निविदादाता का नाम व पूरा पता	
10	फर्म का दूरभाष अथवा मोबाइल नम्बर	

उपरोक्त बिन्दुओं का विवरण साक्ष्य सहित संलग्न करें।

३

dm

सब

हस्ताक्षर निविदादाता.....

निविदादाता का नाम व पूरा पता.....

दिनांक .....

**सर्व शिक्षा अभियान, जिला परियोजना कार्यालय, जनपद-बिजनौर।**

**वित्तीय बिड प्रपत्र**

क्र० सं०	पद का नाम	विशिष्टीकरण अर्हता/मानदेय	सेवा शुल्क की दर (सभी करों सहित)
1	लेखाकार	1- स्नातक (कामर्स ) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउण्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा। तथा सहायक लेखाकार के रूप में कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव (नियत मानदेय रू० 18560 प्रतिमाह)	
2	सहायक लेखाकार	स्नातक (कामर्स ) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउण्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा (नियत मानदेय रू० 11600 प्रतिमाह)	
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	(1) मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट या डी०ओ०ई० ओ स्तर के प्रमाण पत्र के साथ इण्टरमीडिट। (2) डास/यूनिक्स/विन्डोज के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में एम०एस०आफिस/लोटस/स्मार्टसूट आदि जैसे भिन्न-भिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में डाटा इन्ट्री का अच्छा ज्ञान तथा किसी नेटवर्किंग आपरेटिव सिस्टम के वातावरण का एक्सपोजर। (3) हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम से कम 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति। नियत मानदेय कम्प्यूटर आपरेटर - 11020/प्रति माह)	
4	ई०एम०आई०एस० इंचार्ज	कम्प्यूटर में ए स्तर का प्रमाण पत्र तथा 3 वर्ष का अनुभव अथवा कम्प्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र तथा 5 वर्ष का अनुभव नियत मानदेय रू० ई०एम०आई०एस० इंचार्ज- 16800/-प्रतिमाह	
5	डी०सी० ई०एम०आई०एस०	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०टेक० (कम्प्यूटर साइंस) कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए० कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित। वरीयता किसी मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित संस्था/संस्थान में कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। आयु सीमा 21-45 वर्ष। 01 वर्ष (कार्य संतोषजनक होने की अवधि आगे बढ़ायी जा सकती है। मानदेय रू० 30,000 नियत मानदेय	
6	आशुलिपिक	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। हिन्दु आशुलेखन एवं टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रतिमिनट तथा 25 शब्द प्रतिमिनट की न्यूनतम गति आवश्यक है। DOECC सोसायटी द्वारा संचालित CCC पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण किया हो। या माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अवश्यक उत्तीर्ण किया गया हो। नियत मानदेय-18560	
7	टंकक/लिपिक	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रतिमिनट तथा 30 शब्द प्रतिमिनट की न्यूनतम गति होनी आवश्यक है। DOECC सोसायटी द्वारा प्रदान किये गये कम्प्यूटर प्रचालन में CCC	

₹

my

	प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नियत मानदेय 11020	
--	--	--

क्रमांक सं० 01 से 07 तक पदों के मानदेय का भुगतान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित दर से किया जाना है जैसा कि उपरोक्तानुसार में तालिका में अंकित किया गया है। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 2215/2018-19 दिनांक 06 अगस्त 2018 के अनुसार निविदा चयन का आधार न्यूनतम सेवा शुल्क होगा।  
सर्व शिक्षा अभियान योजान्तर्गत पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा अमरोहा में संचालित खाता संख्या 0056000100355864/- आई०एफ०एस०सी० कोड PUNB0005600 रू० 260986/- (रूपये दो लाख साठ हजार नौ सौ छियासी मात्र) की धनराशि अर्नेस्टमनी के रूप में जमा की गयी है। साक्ष्य हेतु छाया प्रति संलग्न है।

दिनांक:

दूरभाष संख्या:


भवदीय,

संस्था/फर्म स्वामी के हस्ताक्षर एवं मोहर

नाम .....  
हस्ताक्षर .....  
फर्म का पूरा पता .....

₹

*dm*



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें

## नियम व शर्तें

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक अधि०/ 883/2011-12 दिनांक 16मई 2011, पत्रांक 2215/2018-19 दिनांक 06 अगस्त 2018 तथा में निहित प्रतिबन्ध एवं शर्तों के अनुसार जनपदीय कार्यालय में अस्थायी रूप से सृजित 01 लेखाकार, 01 सहायक लेखाकार, 01 ई०एम०आई०एस० इंचार्ज तथा 02 कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं 12 ब्लाक संसाधन केन्द्रों/नगर संसाधन केन्द्रों पर अस्थायी रूप से सृजित 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं 01 सहायक लेखाकार (कुल 12 कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं 12 सहायक लेखाकार) तथा राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक अधि०/जि०स० एम०आई०एस० चयन/3765/2019-20 दिनांक 20 नवम्बर 2019 में निहित प्रतिबन्ध एवं शर्तों के अनुसार नव सृजित पद डी०सी० ई०एम०आई०एस० को भरे जाने हेतु सेवा प्रदाता संस्थाके चयन हेतु शासनादेश संख्या 8/2019/20/1/91-का-2/2019 कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 दिसम्बर 2019 में निहित प्रतिबन्ध एवं शर्तों के अनुसार ई-विड आमंत्रित की जाती है-

1-लेखाकार हेतु अर्हता स्नातक (कामर्स ) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउण्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा तथा सहायक लेखाकार के रूप में कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव  
नियत मानदेय रू० 18560/- प्रतिमाह (सनदी लेखाकार फर्म को वरीयता)

2-सहायक लेखाकार हेतु अर्हता:-स्नातक (कामर्स ) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउण्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का डिप्लोमा।(सनदी लेखाकार फर्म को वरीयता)  
नियत मानदेय रू० 11600/- प्रतिमाह

3-कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु अर्हता:-

(1) मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट या डी०ओ०ई० 'ओ' स्तर के प्रमाण पत्र के साथ इण्टरमीडिएट।

(2) ड्रास/यूनिक्स/विन्डोज के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में एम०एस०आफिस/लोटस/स्मार्टसूट आदि जैसे भिन्न-भिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में डाटा इन्ट्री का अच्छा ज्ञान तथा किसी नेटवर्किंग आपरेटिव सिस्टम के वातावरण का एक्सपोजर।

(3) हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम से कम 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति।

नियत मानदेय रू० 11020/- प्रतिमाह

4-ई०एम०आई०एस० इंचार्ज हेतु अर्हता:-कम्प्यूटर में ए स्तर का प्रमाण पत्र तथा 3 वर्ष का अनुभव अथवा कम्प्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र तथा 5 वर्ष का अनुभव।नियत मानदेय रू० 16800 प्रतिमाह

5- जिला समन्वयक एम०आई०एस०:-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०टेक० (कम्प्यूटर साइंस) कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए० कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित। वरीयता किसी मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित संस्था/संस्थान में कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। आयु सीमा 21-45/ संविदा अवधि 01 वर्ष (कार्य संतोषजनक होने की अवधि आगे बढ़ायी जा सकती है। नियत मानदेय रू० 30,000 प्रतिमाह

6-आशुलिपिक:-माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

हिन्दु आशुलेखन एवं टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रतिमिनट तथा 25 शब्द प्रतिमिनट की न्यूनतम गति आवश्यक है।

DOECC सोसायटी द्वारा संचालित CCC पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण किया हो।

या माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण किया गया हो।

7-टंकक/लिपिक:माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो।

हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रतिमिनट तथा 30 शब्द प्रतिमिनट की न्यूनतम गति होनी आवश्यक है।

DOECC सोसायटी द्वारा प्रदान किये गये कम्प्यूटर प्रचालन में CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया प्रमाण पत्र

नियत मानदेय 11020

8- आउट सोर्सिंग हेतु सर्विस लेवल यथा वेतन तथा निर्धारित कटौतियां (ई०पी०एफ०, ई०एस०आई०) समय से शासन द्वारा निर्धारित खातों में जमा किया जाना अनिवार्य है।

5

am

9- प्रत्येक कार्मिक को समय से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। यदि वेतन समय से नहीं दिया जाता है तो प्रति कर्मचारी 100 रूपये प्रतिदिन का जुर्माना नियत होगा।

10- शासनादेश के बिन्दु संख्या 03 के उपबिन्दु 04 में निम्नांकित व्यवस्था दी गयी है-

" जेम के माध्यम से ही आउटसोर्स कर्मी लेने की अनिवार्यता किए जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों की निरंतरता भंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा शासकीय कार्य में अचानक बड़ी बाधा उत्पन्न हो जायेगी। वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को ही जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवा प्रदाता द्वारा रखा जायेगा। केवल नवीन कर्मी ही सेवायोजन पोर्टल से लिये जायेंगे।

11- कर्मियों को विलम्ब से भुगतान किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज व पैनाल्टी लगायी जायेगी।

12- उपरोक्त बिन्दु संख्या 08 के अतिरिक्त सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल से कैंडीडेट्स को वरिष्ठता क्रम अथवा रैंडम व्यवस्था के अन्तर्गत चयन किये जाने हेतु सेवा प्रदाता विभागों द्वारा कर्मियों की मांग यथा एक कर्मी के लिए पोर्टल से पांच आवेदनकर्ताओं को, और दो या दो से अधिक कर्मियों की मांग पर तीन गुना आवेदनकर्ताओं परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ताओं में से चयन, एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर उनकी क्षमता, योग्यता का मूल्यांकन करते हुए किये जायेगा जिसमें अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की भी भागीदारी होगी।

13-सेवा प्रदाता संस्था को कार्यके क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

14-सेवा प्रदाता संस्था को निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

✓ पेन कार्ड,

✓ श्रम विभाग में पंजीयन का प्रमाण पत्र

✓ जी0एस0टी0 में पंजीयन का प्रमाण पत्र

✓ ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 में पंजीकरण का प्रमाण

✓ अनुभव प्रमाण पत्र 03 वर्ष का।

✓ ई.एम.डी. की धनराशि रू0-260986/- जमा करने की रसीद।

15-चयनित संस्था/फर्म को उपलब्ध कराये गये कर्मियों के मानदेय के साथ शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार सेवा शुल्क तथा कर आदि का भुगतान मानदेय में अलग से जोड़कर किया जायेगा।

16-कोई सेवा प्रदाता, यदि निविदा में सेवा शुल्क शून्य प्रतिशत या उससे कम अंकित करता है या प्रस्तावित करता है तो उसकी निविदा विचार करने योग्य नहीं होगा। यहां शून्य प्रतिशत का तात्पर्य शून्य के सभी Derivatives (0 से 0.999तक) से है।

17-सेवा प्रदाता द्वारा ई0पी0एफ0 के नियोक्ता अंशदान जमा किये जाने के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्देश प्रभावी होंगे।

18-चयनित संस्था को जनपद स्तर से कार्यादेश प्राप्त होने के 10 दिन के अन्दर वांछित कर्मी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी तथा उपलब्ध कराये जा रहे कर्मियों की योग्यता, पता दूरभाष नम्बर आदि सम्बन्धित विवरण संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे विवरण पत्रों में अंकित किया जायेगा।

19-चयनित संस्था द्वारा 100 रू0/ के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जायेगा जिसकी अधिकतम अवधि 01 वर्ष की होगी। सेवा संतोषजनक संस्था/फर्म के अनुबन्ध का नवीनीकरण आगामी वर्ष हेतु किया जा सकता है। सेवायें संतोषजनक न होने पर संस्था/फर्म का अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

20-नियत मानदेय पर सर्विस चार्ज जोड़कर टी0डी0एस0 2 प्रतिशत कटौती की जायेगी।

21- देयको पर जी0एस0टी0 समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान की जायेगी।

22- उपरोक्तानुसार पदों की संख्या राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।

22-क्रमांक सं0 01 से 07 तक पदों के मानदेय का भुगतान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित दर से किया जाना है जैसा कि उपरोक्तानुसार बिन्दु में अंकित है। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 2215/2018-19 दिनांक 06 अगस्त 2018 के अनुसार निविदा चयन का आधार न्यूनतम सेवा शुल्क होगा।

5

dm